

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा, पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत - न्याय आपके द्वारा कैम्प थूम्बली
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नंबर 521 / 2018

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
तहसीलदार, पचपदरा	1. बीजाराम पुत्र विशनाराम जाति भील लालाराम, ओमप्रकाश पुत्र नरसिंगाराम जाति भील, सुआ देवी पत्नि नरसिंगाराम जाति भील वगै०	2. मांगीलाल,
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60, 66, 86 भू-अभिलेख नियम 1970.		

आदेश दिनांक :- 25.06.2018

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60, 66, 86 भू-अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया। हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गस्त गिरदावरी ग्राम बामणी मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नहीं है। उनका अंकन किया जावे।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते/ सडक के रूप मे अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है को राजस्व रेकर्ड में दर्ज/ तरमीम के आदेश दे रखे है।

अतः मौजा बामणी के खसरा न0 629, 1049/628, 627, 1045/627, 625, 622, 1069/322 रकबा 0.06, 2.04, 0.19, 0.06, 1.03, 1.00, 1.10 बीघा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते/ डामर सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण को दर्ज किया जाकर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किया गया। विप्रार्थीनी अनुपस्थित।

हल्का पटवारी/सरपंच ने भी मौके पर रास्ता चालू हालात मे होने की ताईद की है तथा किसी प्रकार की आपति प्रकट नहीं की है। पटवारी हल्का द्वारा मौजा बामणी में संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित नक्शे मे 'ए' से 'बी' बिन्दु तक खसरा न0 629, 1049/628, 627, 1045/627, 625, 622, 1069/322 रकबा 0.06, 2.04, 0.19, 0.06, 1.03, 1.00, 1.10 बीघा रास्ता वर्तमान मे चालू बताया है तथा इसे राजस्व रेकर्ड में सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शे मे तरमीम करने की प्रार्थना की है। उक्त प्रार्थना पत्र ख0न0 627, 625, 622, 1069/322 की किस्म गैरमुमकिन नाला है जो कि जलप्रवाह का साधन है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। विप्रार्थीगण ने भी इस पर ऐतराज पेश किया है। परन्तु पटवारी हल्का अनुसार मौके पर डामर सडक चल रही है। अतः भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र



उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

को अस्वीकार करने का आधार पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया।


बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र ख0न0 627, 625, 622, 1069/322 की किस्म गैरमुमकिन नाला है जो कि जलप्रवाह का साधन है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अतः तहसीलदार पचपदरा का प्रार्थना पत्र आशिक रूप से स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/ तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आशिक रूप स्वीकार कर मौजा बामणी में अवस्थित खसरा 629, 1049/628, 1045/627, रकबा 0.06, 2.04, 0.06, बीघा के बिन्दु 'ए' से 'बी' व 'सी' से 'डी' में वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है, व प्रार्थना पत्र दर्शित बिन्दु बी से सी व डी से ई में प्रस्तावित रास्ते को निरस्त किया जाता है। उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत् खातेदार के खाते में ही दर्ज रहेगा। संलग्न नक्शा बिन्दु 'ए' से 'बी' व 'सी' से 'डी' का रास्ता निर्णय का भाग रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

आदेश दिनांक 25.06.2018 को सुनाया गया।




(भास्कर राम)
असिस्टेंट अधिकाारी,
(एसडीओ) बालोतरा